मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2000 (फाल्गुन 19, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, संविधान के अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपतिजी द्वारा दिनांक 24.2.2000 को राज्य विधान सभा को संदर्भित मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (प्रत्युत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1995-1996 तथा वार्षिक लेखा वर्ष 1996-97 (दिनांक 1 अप्रैल, 1996 से दिनांक 31 मार्च, 1997 तक);

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99;

(ग) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का दिनांक 30 जून, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन; तथा

(घ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (दिनांक 1 जुलाई, 1998 से दिनांक 30 जून, 1999 तक),

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, रायपुर जिले में स्थित एल. एण्ड टी. सीमेंट संयंत्र के प्रबंधन द्वारा आदिवासियों की भूमि खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 1856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय	8. वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
1 घन्टा 30 मि.	(1) मांग संख्या-25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा
	मांग संख्या-47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग
	मांग संख्या-70	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा 30 मि.	(2) मांग संख्या-22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
	मांग संख्या-53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या-69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
	मांग संख्या-81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या-83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
1 घन्टा	(3) मांग संख्या-12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
1 घन्टा 30 मि.	(4) मांग संख्या-27	स्कूल शिक्षा
1 घन्टा 30 मि.	(5) मांग संख्या-39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या-63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या-72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय.
30 मि.	(6) मांग संख्या-18	श्रम
	मांग संख्या-34	समाज कल्याण
	मांग संख्या-66	पिछड़ा वर्ग कल्याण.
1 घन्टा	(7) मांग संख्या-36	परिवहन.

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.